फर्द अहकाम

मीठालाल वगै. बनाम सरकार

(कार्या)लय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

166/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
16/7/23	पत्रावली पेश हुई। R.O. [illegible] का रवाना [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी / जवाब दिनांक 5/9/23 को पेश हो।	
5/9/23	पत्रावली पेश हुई। वकील पार्टी उप. तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त [illegible] [illegible] [illegible] किया गया। पत्रावली दिनांक 6/9/23 को पेश हो।	
6/9/23	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा रेफरेंस / कार्य का बहिष्कार करने के कारण पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9/9/23 पेश हो।	
9/9/23	पत्रावली पेश हुई। वकील पार्टी उपस्थित वकील पार्टी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 23/9/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
23/9/23	पत्रावली पेश हुई। वकील पार्टी उपस्थित। पत्रावली आदेश की	

फर्द अहकाम

सीताराम बनाम सरकार
उपखण्ड न्यायालय जमवारामगढ़

नाम न्यायालय

केस संख्या 166/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		विचाराधीन है। पत्रावली की वकील प्रार्थी की बहस सुनी [illegible] बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी का प्रा० पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट व समस्त दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस को ध्यान किया गया। अतः! प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 रा.का.अ. [illegible] को स्वीकार किया जाता है तथा निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद [illegible] के तथा बाद प्रति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
166/2023	05/10/2023	23.09.2024

1. सीताराम पुत्र रामेश्वर
2. गजानन्द पुत्र रामेश्वर
3. कमलेश पुत्र रामेश्वर
4. केशर पत्नि बद्रीनारायण

समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम आंधी तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर राजस्थान ।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री रामस्वरूप शर्मा :– वकील प्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 एल0आर0 एक्ट
बाबत् नक्शा दुरूस्ती

–:निर्णय :–

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री रामस्वरूप शर्मा के यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण नक्शा दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 576 रकबा 0.2400है0 जिसके साबिक खसरा नम्बर 487 स्थित है जो ग्राम आंधी पटवार हल्का आंधी तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त होकर खेती का कार्य करते आ रहे है तथा वर्तमान में भी खेती कर अपना व अपने परिवारजन का पालन पोषण कर रहे है। हाल सेटलमेंट से पूर्व नक्शे अनुसार प्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त है तथा उसी अनुसार मौके पर काश्त कर रहे है लेकिन हाल सैटलमेंट के बाद बने नवीन खसरा नम्बर 576 को नक्शें मे कम करते हुये पूर्व नक्शें से भिन्न नक्शा बनाते हुये अंकित कर दिया है जबकि प्रार्थीगण पूर्व नक्शे अनुसार मौके पर काबिज काश्त है तथा खेती का कार्य कर रहे है लेकिन जो नवीन नक्शा कायम किया गया है वह बिना पूर्व नक्शें का मिलान किये व बिना मौके की जॉच किये बनाया गया है जिस कारण नवीन नक्शें के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि मौके पर नापझोक करने पर कम पडती है जबकि पूर्व नक्शें अनुसार नापझोक करने पर सही आती है जिस कारण प्रार्थीगण के लिए उक्त दुरूस्त हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 576 के वर्तमान राजस्व नक्शें को सेटलमेंट से पूर्व नक्शा अनुसार दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी रजिस्टर्ड डाक से जारी की गई। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/ आर.टी./2024/260 दिनांक 28.03.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार (पैरोकार सरकार) अपनी रिपोर्ट/जवाब में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम आंधी के आराजी खसरा नम्बर 576 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

(42)

0.24है0 किस्म चाही 2 प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में सहखातेदारी दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान खसरा नम्बर 576 के साबिक खसरा नम्बर 487 रकबा 19 बिस्वा दर्ज रिकार्ड था। साबिक खसरा नम्बर 487 एकीकरण के दौरान खसरा नम्बर 1882/3 बिस्वा, 1181/3 बिस्वा, 1884/11 बिस्वा, 1883/2 बिस्वा को शामिल करते हुए बनाया गया था। खसरा नम्बर 1884 का रकबा 16 बिस्वा दर्ज रिकार्ड था जिसमें से रकबा 11 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 487 में तथा रकबा 5 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 485 में शामिल किया गया। प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये नक्शा लटठा चकतराशि फोटोप्रति एवं वर्तमान नक्शे का मिलान किया गया तथा वर्तमान खसरा नम्बर 576 व 574 की रकबा बरारी की गई जिसमें खसरा नम्बर 576 में जमाबन्दी अनुसार रकबे से कम रकबा ज्ञात हुआ व खसरा नम्बर 574 में जमाबन्दी अनुसार रकबे से अधिक रकबा ज्ञात हुआ है। साबिक खसरा नम्बर 1884 में से खसरा नम्बर 487 में शामिल रकबा नक्शे में कम कायम कर दिया गया जिसके संलग्न नजरी नक्शे अनुसार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

वकील प्रार्थीगण व पैरोकार की बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिये जाते है कि ग्राम आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 576 के वर्तमान राजस्व नक्शें को सैटलमेंट से पूर्व नक्शा अनुसार नक्शे को दुरूस्त करते हुये वर्तमान राजस्व नक्शें में कायम किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 23.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़